भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1510
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर का कार्यकाल

†1510. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर का कार्यकाल वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसा पाँच वर्षीय महापौर, यदि प्रस्तावित है, तो चंडीगढ़ के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, जैसा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के मॉडल में अपनाया गया है;
(ग) क्या सरकार का निगम की निरंतर वित्तीय बाधाओं और वैधानिक कार्यों के निर्वहन की इसकी सीमित क्षमता को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम के बीच कार्यों और विभागों को पुनर्संतुलित या पुनः आवंटित करने का विचार है; और
(घ) केंद्र/राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच विशेषकर केंद्रीय बजट से चंडीगढ़ को विनियोजित निधि के संबंध में राजस्व बंटवारे के लिए विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित 30 प्रतिशत राजस्व-साझाकरण सूत्र चंडीगढ़ नगर निगम पर लागू क्यों नहीं होता?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है। चंडीगढ़ एक संघ राज्यक्षेत्र है; अतः इस पर वित्त आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की बजटीय आवश्यकताएँ केंद्रीय बजट के सहायता अनुदान के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

****